राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.17(1)नविवि/प्र.श.अभि./2024 दिनांक : 12 JUL 2024

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान 02 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ किया गया था जो दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो गया है। विभिन्न निकायों द्वारा अभियान के पश्चात् प्रभावी आदेश/परिपत्र एवं अभियान के दौरान लम्बित प्रकरणों के निष्पादन के संबंध में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। इस संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैः –

1. विभागीय आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा आदेशित किया गया कि अभियान अवधि दिनांक 31.03.2024 तक सभी निकायों (प्राधिकरण/न्यास/निगम/परिषद्/पालिका) में प्राप्त ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन/प्रकरणों के संबंध में स्पष्ट किया गया कि मात्र ऐसे प्रकरण जिनमें अभियान अवधि में दी गई छूट के अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा करा दी है, उनसे अभियान अवधि के पश्चात् शेष राशि की मांग नहीं की जावे। ऐसे प्रकरणो में अभियान अवधि के दौरान प्रभावी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार ही परीक्षण कर रियायती दर पर पट्टे जारी कर सकते है।

2. बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जिनमे मांग पत्र जारी हो चुका है, परन्तु दिनांक 31.03.2024 तक राशि जमा नहीं हुई है,उक्त एवं अन्य सभी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण अभियान के पश्चात् वर्तमान प्रभावी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्रों के अनुसार परीक्षण कर किया जावें। इस हेतु नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निम्न आदेशों/परिपत्रों/नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

   i. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–ख, 90–क, व 90–क (8) के अन्तर्गत पट्टा–

   विभागीय आदेश क्रमांक प. 3(28)न.वि.वि./3/96 दिनांक 13.09.2000, प. 3(28)न.वि.वि./3/96 दिनांक 10.10.2000, प. 3(273)नविवि/3/2011 दिनांक 30.09.2011, प.2(30)नविवि/2016 दिनांक 11.05.2017, प. 3(77) नविवि/3/2010 पार्ट–IV दिनांक 22.06.2017, प. 3(77) नविवि/3/2010 पार्ट–IV दिनांक 12.04.2018, प. 03(313)नविवि/3/2011 दिनांक 11.02.2020, प. 2(7)नविवि/नियम/2018 दिनांक 18.07.2018, प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–4 दिनांक 03.02.2021, प.17(16)नविवि/नियम/2021 दिनांक 03.05.2021, प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 09.09.2021, प. 17(19)नविवि/नियम/2019 दिनांक 14.09.2021, प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021, विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. 3(114) नविवि/3/2012 दिनांक 03.07.2012, प. 17(9)नविवि/नियम/2019 दिनांक 22.07.2019, प. 3(50)नविवि/03/2012 दिनांक 13.02.2020, प. 17(19)नविवि/नियम/2019 दिनांक 14.09.2020, प. 17(16)नविवि/नियम/2021 दिनांक 11.08.2021

ii. **अकृषि भूमि का अभ्यार्पण स्वीकार कर फ्री–होल्ड पट्टा –**

नगर पालिका अधिनियम की धारा 69–क, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54–ई, जोधपुर व अजमेर, विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50–बी, कोटा व उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 53, नगर सुधार अधिनियम की धारा 60–सी, राजस्थान नगरपालिका (अकृषि भूमि का अभ्यार्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा) नियम 2015, विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग)(12)नियम/डीएलबी/2015 दिनांक 24.09.2015 व आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 04.10.2021

iii. **उप–विभाजन/ पुर्नगठन –**

विभागीय आदेश प. 10(65)नविवि/3/2004 पार्ट दिनांक 31.08.2021

iv. **भू–उपयोग परिवर्तन –**

विभागीय आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 20.07.2017, प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 12.04.2018, प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 24.06.2019

v. **प्रभावी नीति, नियम व विनियम (अद्यतन) –**

नगर विकास न्यास/नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों का उपविभाजन/पुनर्गठन व सुधार) नियम 1975, टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हेक्टयर से अधिक व 10 हेक्टयर तक), राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012, राजस्थान नगर पालिका (अकृषि भूमि का अभ्यार्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा) नियम 2015 एवं मॉडल भवन विनियम 2020 तथा इनमें आदिनांक तक किये गये संशोधन के साथ उक्त नीति, नियम व विनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जावें।

सभी लम्बित प्रकरणों का परीक्षण उपर्युक्तानुसार किया जाकर निस्तारण दिनांक 10.08.2024 तक किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान।

5. आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल, राजस्थान।
6. शासन उप सचिव – प्रथम / द्वितिय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान / एनसीआर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति समस्त नगर निगमों / नगर परिषदों / नगरपालिका मण्डलों को भिजवाने की व्यवस्था करावे
9. समस्त सचिव, नगरीय विकास न्यास, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि।
11. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही एव वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

12/7/24

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग